रजि. सं. डी.एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2000/श्रावण 17, 1922

No. 424] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2000/SRAVANA 17, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी बाजार तथा विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2000

सा.का.नि. 655 (अ).— प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा प्रतिभूति संविदा(विनियम)(प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील), नियमावली, 2000 में संशोधन करती है ; नामतः--

1. (1) इन नियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियम)(प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) संशोधन नियमावली, 2000 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रतिभूति संविदा(विनियम) (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली, 2000 में, ---

(i) शीर्षक " 1. परिभाषाएं" के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, " 2. परिभाषाएं" ;

(ii) पुनः संख्यांकित नियम 2 में खण्ड (ख) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः--

"(ख)" "अपील" का अर्थ है अधिनियम की धारा 22 क के तहत या संविदा प्रतिभूति(विनियम) नियमावली, 1957 के नियम 19 के उपनियम (5) या नियम 20 के उपनियम (5) के तहत दायर की गई अपील ;

(iii) नियम 3 को नियम 3 का उपनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामत:-

(2) प्रत्येक अपील भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनयम, 1992(1992 का 15) के तहत यथा परिभाषित" सामूहिक निवेश योजना" की किसी प्रतिभूति/यूनिटों या अन्य लिखतों में व्यौहारों में प्रवेश को वापस लेने अथवा व्यौहारों में प्रवेश के निलम्बन, जो तीन माह से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है, के किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के आदेश, जिसके प्रति अपील दायर की गई है, की प्रति अपीलार्थी को प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर दायर की जाएगी :

परन्तु यह कि अपीलीय न्यायाधिकरण पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि उस अवधि में अपील दायर न किए जाने का पर्याप्त कारण था। "

[एफ. सं. 1/25/एसई/98]

डा. जे. भगवती, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड(i) दिनांक 18 फरवरी, 2000 में प्रकाशित दिनांक 18 फरवरी, 2000 के सा.का.नि. 144 (अ) के तहत जारी की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Capital Markets and External Commercial Borrowings Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2000

G.S.R. 655(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, (42 of 1956), the Central Government hereby amends the Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, namely:-

1. (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Amendment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000,-

(i) for the heading "1. Definitions", the following shall be substituted, "2. Definitions";

(ii) in the re-numbered rule 2, for clause (b), the following shall be substituted, namely:-

'(b) "appeal" means appeal filed under section 22A of Act or under sub-rule (5) of rule 19 or sub-rule (5) of rule 20 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957';

(iii) rule 3 may be re-numbered as sub-rule (1) of rule 3, after sub-rule (1) as so re-numbered, the following shall be inserted, namely:-

(2) Every appeal shall be filed within a period of forty five days from the date on which a copy of the order, against which the appeal is filed, of a recognised stock exchange withdrawing admission to dealings or suspending admission to dealings which continues for a period exceeding three months in any security/units or other instruments of a "collective instrument scheme", as defined under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), is received by the appellant:

Provided that the Appellate Tribunal may entertain an appeal after the expiry of the period of forty five days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period."

[F. No. 1/25/SE/98]
DR. J. BHAGWATI, Jt. Secy.

Note. – The principle notification was issued under G.S.R. 144 (E), dated the 18th February, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 18th February, 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.